न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस
अपील संख्या 2016/00288 (273/2016)

पालूराम पुत्र प्रभूराम जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——**अपीलांट्**

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र पि0 मु0 देवा जाति कुम्हार निवासी शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 प्रताप
1/2 रूलीराम
1/3 शाति
1/4 मेवा
} पिसरान मेहरचन्द पुत्र पि0 मु0 देवा जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

—असल/रेस्पोडेन्ट्

2. रामेश्वर पुत्र हरपत जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. सत्यप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी शेरड़ा तह0 भादरा जिला हनुमानगढ
4. खुमाणा उर्फ खेमाराम पुत्र राउ जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)

4/1 मंगतू पुत्र खमाणा उर्फ खेमाराम जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5. नन्दराम
6. जगदीश
7. रामधन
8. सुन्डाराम
} पिसरान मेहरचन्द पुत्र पि0 मु0 देवा जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

9. हुणताराम पुत्र माडु जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
10. मांगेराम पुत्र तनुराम जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
11. फुलाराम
12. काशीराम
} पिसरान हरदेई जाति कुम्हार निवासी बड़वा तहसील सिवानी जिला हिसार (हरियाणा)

13. सम्पत पुत्र सोहन जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भदरा जिला हनुमानगढ (फौत)

13/1 पुनमचन्द
13/2 महेन्द्र
13/3 कृष्णा
13/4 कान्ता
13/5 बनारसी पत्नी
} पिसरान सम्पत पुत्र सोहन जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. ओम पुत्र प्रभु जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
15. शंकर पुत्र प्रभू जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)
    15/1 सचिन, 15/2 रूपक उर्फ दीपक } पिसरान शंकर जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
    15/3 रिंकू पत्नी शंकर जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
16. विद्या पुत्री प्रभु जाति कुम्हार निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
17. दरिया सिंह पिसरान लिछमा जाति कुम्हार निवासी अब्दू खां की ढाणी तहसील सिवानी जिला हिसार (हरियाणा) (फौत)
18. 17/1 छबीलराम पुत्र दरियासिह जाति कुम्हार निवासी अब्दू खां की ढाणी तहसील सिवानी जिला हिसार
19. धापा, 20. कमला, 21. होशियारसिह } पिसरान लिछमा जाति कुम्हार निवासी अब्दूखां की ढाणी तहसील सिवानी जिला हिसार (हरियाणा)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व (भादरा) जिला हनुमानगढ

विरूद्ध 29.12.2015 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्रकरण संख्या 21/2013 बअनवानी मेहरचन्द आदि बनाम रामेश्वर आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री विजय कोशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1/1 से 1/4
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2, 3, 4/1 से 10, 13 ता 16

निर्णय दिनांक :–09.08.2019

1. रेस्पोडेण्ट स0 1 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक अर्जीदावा अन्तर्गत इस्तकरारहक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के सबंध में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसके पूर्वजों की खातेदारी भूमि है लेकिन सैटलमेंट विभाग ने हिस्सा कसी गलत रूप से दर्ज कर दी है। वाद पत्र में रोही मोजा शेरड़ा की खसरा नं. 264 की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से वादी को 1/4 हक हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा कम करते हुए उसके स्थान पर वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत न करने एवं प्रश्नगत भूमि को रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश करते हुए कथन किया कि सभी तथ्य मनघड़ंत है। प्रश्नगत भूमि उनके कब्जा काश्त में हैं। प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। वाद वादी खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावा, जवाब दावा एवं बयानात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि खसरा नं. 264 की 7.18 बीघा भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायायल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन एवं विष्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादी को यह सिद्ध करना था कि पूर्व में मेहरचन्द वल्द बेवा के नाम भूमि ख. नं. 264 की थी परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहवन से जो इन्द्राज हुआ था उसे दुरूस्त किया गया था। इसलिए वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। आदेश 20 नियम 5 व आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विवाद्यक का पृथक पृथक निर्णय नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 21 को फोर्मल पार्टी मानते हुए जवाब की आवश्यकता नहीं मानते हुए अपीलाधीन निर्णय गलत रूप से पारित किया है जबकि वह एक भू धारक है होने से आवश्यक पक्षकार है एवं उसका जवाब आवश्यक था। प्रतिवादी सं. 3, 12, 15, 18 पूर्व में ही फौत हो चुके थे। वादी ने उनके वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया ना ही दावा के उपशमन को अपास्त करवाने जाने हेतु कोई आवेदन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया लिहाजा वाद का उपशमन हो चुका था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित की गई है उसकी कोई अहमियत नही होने से प्रारम्भ से ही शुन्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2005 (8) एसबीआर पेज 1 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिक्वक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय में मेहरचन्द द्वारा अधिकारों की घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3, 12, 15, 18 के फौत होने का कथन आया है जिसमें खुमाणा की मृत्यु 06.08.2012 को होने के सम्बन्धी मृत्युप्रमाण पत्र की चित्रप्रति प्रस्तुत हुई है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने दौराने वाद पक्षकारान की मृत्यु होने के तथ्य का कोई विरोध नहीं किया है। मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित होने के कारण इनकी कोई अहमियत नही है ये शुन्य की श्रेणी में आते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2005 (8) एसबीआर पेज 1 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित आदेश शून्य है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में चूंकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किये गये हैं इसलिए प्रकरण का गुणागवुण पर विचार किये बिना ही अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि सभी मृतक पक्षकारों के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उनकी तलबी करवा कर सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी मृतक पक्षकारों के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उनकी तलबी एवं सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official